राजस्थान–सरकार

न्यायालय उप जिला कलक्टर सैंपऊ,जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या–10/2020

1–बालारानी पुत्री स्व0 बिरसू पत्नी श्री लखविन्दर सिंह 2–स्वीटी सिंह पुत्री स्व0 महेश्वरी देवी पत्नी श्री सुमित सिंह हाल जातिगण बेडिया निवासी ग्राम बरा (मालौनीखुर्द) तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1–विसाल नारायन छारी पुत्र श्री नारायन सिंह 2–कमल सिंह पुत्र श्री नारायन सिंह समस्त जातिगण बेडिया निवासीगण ग्राम बरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर .....प्रतिवादीगण

दावा वास्ते स्वत्व घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अधीन धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति– श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट.....(वादीगण)
श्री हजरत खॉ एडवोकेट.....(प्रतिवादी संख्या–1 व 2)

निर्णय

दिनांकः–21.12.2022

वादीगण की ओर से वादपत्र इन तथ्यो के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2536/1406 रकवा 16 विस्वा एवं खसरा नम्बर 2541/1407 रकवा 2 बीघा 04 विस्वा 04 विस्वा कुल किता 02 कुल रकवा 03 बीघा वाकेग्राम मालौनी खुर्द पटवार क्षेत्र मालौनीखुर्द भू0 अभिलेख निरीक्षक करीमपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर के वहिस्सा 2/3 भाग के खातेदार काश्तकार स्व0 ताराचन्द पुत्र सुखी थे और जो कि अपने जीवनकाल तक मौके पर काबिज काश्त होकर काश्त रहे है। जिनकी न तो शादी हुई थी और ना ही उनकी कोई जायज व नाजायज सन्तान पैदा हुई है और वादीगण व प्रतिवादीगण ही एक मात्र स्व0 ताराचन्द के नजदीकी वारिस व कायम मुकामान है। स्व0 ताराचन्द पुत्री सखी जाति बेडिया निवासी ग्राम बरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर राज0 के हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 2536/1406 रकवा 16 विस्वा एवं खसरा नम्बर 2541/1407 रकवा 02 बीघा 04 विस्वा कुल किता 02 कुल रकवा 03 बीघा वाकेग्राम मालौनी खुर्द पटवार क्षेत्र मालौनी खुर्द भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करीमपुर तहसील सैंपऊ, जिला धौलपुर में उनके निहित हिस्से 2/3 भाग यानी 02 बीघा भाग पर जीवन काल में उनकी वृद्धावस्था में अपने जीवनयापन के लिये सहारे की आवश्यकता थी तब वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 सेवा, सुश्रुषा, खाने–पीने, ईलाज आदि की व्यवस्था संयुक्त रूप से करते थे। आराजी खसरा नम्बर 2536/1406 रकवा 16 विस्वा एवं खसरा नम्बर 2541/1407 रकवा 02 बीघा 04 विस्वा कुल किता 02 कुल रकवा 03 बीघा वाकेग्राम मालौनी खुर्द पटवार क्षेत्र मालौनी खुर्द भू0–अभिलेख क्षेत्र करीमपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर के संयुक्त खातेदार काश्तकार स्व0 ताराचन्द पुत्र श्री सुखी एवं अन्य सहखातेदारान के मध्य उक्त विवादित आराजी का न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.11.2015

1/6

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

को बटवारा हो गया जिसमें वादीगण के पूर्वज स्व0 श्री ताराचन्द पुत्र श्री सुखी के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 2541/1407/1 रकवा 02 बीघा हिस्से में आया है। जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 2635/2541 रकवा 0.5058 हैक्टेयर यानी 02 बीघा है। जो कि विवादित है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 की सेवा सुश्रुषा आदि से प्रसन्न होकर स्व0 ताराचन्द पुत्र सुखी जाति बेडिया निवासी ग्राम बरा तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर राज0 ने अपनी स्वेच्छा से अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की एक वसीयत दिनांक 05.04.2018 को तैयार कराकर अपने भाई के वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के हक में गवाहन के समझ तैयार कराके निस्पादित करा दी है। जिस पर अपना अगूंठा निशानी लगाया व अपने गवाहन के हस्ताक्षर कराये जिसे कि दिनांक 25.04.2018 को नोटरी से तस्दीक कराकर अपने भतीजी–भतीजों को सौंप दिया। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के चाचा स्व0 ताराचन्द पुत्री सुखी जाति बेड़िया निवासी ग्राम बरा तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर राज0 का स्वाभाविक रूप से दिनांक 29.04.2019 में निधन हो चुका है। इसलिये उनके निधन के बाद स्व0 ताराचन्द द्वारा छोड़ी गई विवादित आराजी एवं उनकी समस्त चल–अचल सम्पत्ति पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और स्व0 ताराचन्द पुत्र सुखी की समस्त चल–अचल सम्पत्ति को संयुक्त रूप से वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने वसीयत दिनांक 05.04.2018 से प्राप्त किया है। जिस पर संयुक्त रूप से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 बिना किसी विघ्न बाधा से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है और अपने उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है। स्व0 ताराचन्द द्वारा की गई वसीयत दिनांक 05.04.2018 में वादीया संख्या–2 की मां महेश्वरी का निधन दिनांक 20.06.2019 को हो गया जिसका समस्त तर्का विरासतन वादिया संख्या–2 ने ही प्राप्त किया है। इसलिये वादिया संख्या–2 अपनी मां महेश्वरी के हिस्से को प्राप्त करने व राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित करा पाने की अधिकारी है। अर्सा करीब 1 माह पूर्व जब वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 उनके चाचा स्व0 ताराचन्द पुत्र सुखी द्वारा छोड़ी गई विवादित आराजी खसरा नम्बर 2635/2541 रकवा 0.5058 यानि 02 बीघा पर वहिस्सा बराबर–बराबर का नामान्तकरण हल्का पटवारी एवं तहसीलदार महोदय से कराने का निवेदन किया। तो इस पर प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 नाराज हो गये और उन्होंने वादीगण को धमकी दी कि वे उक्त विवादित आराजी पर वादीगण आराजी पर अपना नाम अंकित करायेंगे और वे उक्त विवादित आराजी पर वादीगण को काश्त नहीं करने देंगे और शीघ्र ही वादीगण को उक्त विवादित आराजी से जबरन बलपूर्वक बेदखल करके अपना कब्जा करेंगे और राजस्व कर्मचारियों से साठ–गांठ करके राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराके किसी दीगर व्यक्ति के पक्ष में रहन वय, मुन्तकिल या विक्रय कर देंगे और वादीगण को उनके हक व अधिकार से वंचित कर देंगे। इस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 से यह निवेदन किया कि उनके चाचा स्व0 ताराचन्द पुत्र सखी द्वारा छोड़ी गई उक्त विवादित आराजी को जरिये वसीयत दिनांक 05.04.2018 को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के हक में वहिस्सा बराबर की तैयार कराके निस्पादित कराई है जिस पर अपना अगूंठा निशानी लगाया व अपने गवाहन के हस्ताक्षर कराये जिसे कि दिनांक 25.04.2018 को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के हक में वहिस्सा बराबर तैयार कराके निस्पादित कराई जिस पर अपना अगंठा निशानी लगाया व अपने गवाहन के हस्ताक्षर कराये जिसे कि दिनांक 25.04.2018 को

2/6

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

नोटरी से तस्दीक कराया है। जिसमें वादीगण को वहिस्सा बराबर–बराबर का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। जिसके अनुसार वादीगण वादीगण अपने हिस्से पर बिना किसी विघ्न बाधा के काबिज काश्त है जिसके अनुसार वादीगण स्व0 ताराचन्द पुत्र सुखी द्वारा छोड़ी गई विवादित आराजी खसरा नम्बर 2635/2541 रकबा 0.5058 हैक्टेयर यानि 02 बीघा में वहिस्सा बराबर–बराबर यानि 1/2–1/2 यानि 01 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के और राजस्व रिकॉर्ड में स्व0 ताराचन्द पुत्र सुखी के नाम के हो रहे इन्द्राज को निरस्त कराकर उनके निहित हिस्से पर अपना–अपना नाम घोषित कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित करा पाने के अधिकारी व दावेदार है। अर्सा करीब 10 दिवस पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 तहसीलदार महोदय से आपसी सहमति से स्व0 ताराचन्द पुत्र सुखी द्वारा छोड़ी गई विवादित आराजी में स्व0 ताराचन्द पुत्र सुखी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे इन्द्राजों को निरस्त कराकर वहिस्सा बराबर–बराबर पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 के नाम इन्द्राज कराने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 ने वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को निरस्त कराकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड को निरस्त कराकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में वहिस्सा बराबर–बराबर पर दर्ज कराने से साफ इन्कार कर दिया और वादीगण को धमकी दी कि वे स्व0 ताराचन्द पुत्र सुखी द्वारा छोड़ी गई उक्त विवादित आराजी पर राजस्व कर्मचारियों से साज करके अपना नाम अंकित करा लेंगे और किसी दीगर व्यक्ति के पक्ष में रहन वय, मुन्तकिल कर देंगे और वादीगण को उनके हक व अधिकार से वंचित कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी को साकार करने में कामयाव हो गये और उन्होंने वादीगण को उनके हिस्से की उक्त विवादित आराजी से बिना किसी हक व अधिकार के जबरन बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा कर लिया या गलत इन्द्राजों के आधार पर किसी दीगर व्यक्ति के पक्ष में रहन वय, विक्रय, मुन्तकिल कर दिया तो वादीगण को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी कि भरपाई किसी भी प्रकार से होना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण को यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने हितों की रक्षार्थ माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष उक्त विवादित आराजी में अपने अधिकारों की स्वत्व घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्व0 ताराचन्द पुत्र सुखी के नाम हो रहे इन्द्राज को निरस्त कराकर उनके निहित हिस्से पर वहिस्सा बराबर–बराबर यानि 1/2–1/2 भाग यानि 01 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित करावें और प्रतिवादीगण को इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त एवं वादीगण के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की विघ्न बाधा कारित नहीं करें एवं ना ही किसी दीगर व्यक्ति के पक्ष में रहन वय, विक्रय, मुन्तकिल आदि करें एवं ना ही अपने ऐजेन्टों से करावे जिसके कि वादीगण अधिकारी व दावेदार है। वाद कारण वास्ते दायरी दावा अर्सा करीब 10 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त गलत इन्द्राजों के आधार पर वादीगण को स्व0 ताराचन्द पुत्र सखी द्वारा छोड़ी गई विवादित आराजी पर वादीगण का नाम इन्द्राज करने से साफ इन्कार करने पर और उक्त विवादित आराजी पर अपना अकेले का ना इन्द्राज कराने की धमकी देने पर धमकी देने पर और किसी दीगर व्यक्ति के पक्ष में रहन वय, विक्रय, मुन्तकिल करने की धमकी देने पर अन्दर हदूद अदालत पैदा हुआ है जो कि आज भी जारी है।

उपखण्ड अधिकारी
पीडु

3/6

अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 2635/2541 रकवा 0.5058 हैक्टेयर यानि 02 बीघा वाकेग्राम मालौनीखुर्द पटवार क्षेत्र मालौनीखुर्द भू0–अभिलेख क्षेत्र करीमपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर में स्व0 ताराचन्द के नाम को निरस्त (डिलीट) किया जाकर उनके निहित हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादीगण का वहिस्सा बराबर–बराबर यानि 1/2–1/2 भाग यानि 02 बीघा में से 01 बीघा पर वादीगण का नाम और शेष हिस्से पर प्रतिवादी संख्या–1 व 2 का नाम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या –1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार अंकित कराया जावे और प्रतिवादीगण को इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त एवं वादीगण के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की विघ्न बाधा कारित नहीं करें एवं ना ही अपने ऐजेन्टों से करावें। अन्य अनुतोष जो कि उभयपक्ष की साक्ष्य से वादीगण को दिलाया जाना न्याय संगत वह भी दिलाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 व 2 की ओर से श्री हजरत खां एडवोकेट जरिये वकालतनामा पेश कर उपस्थित हुये एवं जबाब दावा पेश किया। जबाब दावा में कथन किया कि वादीगण ने उपरोक्त वाद प्रतिवादीगण/उत्तरदाता को हैरान परेशान करने की नीयत से पेश किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। उक्त वाद पत्र में विवादित आराजी जिसकी स्व0 ताराचन्द द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 05.04.2018 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के साथ प्रतिवादीगण को वहिस्सा 1/2–1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में स्व0 ताराचन्द द्वारा छोड़ी गई विवादित आराजी में 1/2 भाग पर उनका नाम अंकित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। और प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार पृथक से कब्जा व अधिपत्य दिलावे। प्रतिवादी संख्या–3 तहसीलदार सैपऊ को भूमिधारा होने के कारण पक्षकार प्रकरण बनाया गया है। उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

वाद एवं प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाबदावा को दृष्टिगत रखते हुये निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 2635/2541 रकवा 02 बीघा वाकेग्राम मालौनीखुर्द तहसील सैपऊ, जिला धौलपुर में ताराचन्द के नाम को डिलीट करवाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के साथ वहिस्सा बराबर–बराबर स्व0 ताराचन्द द्वारा की गई वसीयत दिनांक 05.04.2018 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है।
2. आया प्रतिवादी संख्या–1 व 2 स्व0 ताराचन्द द्वारा तहरीर की वसीयत दिनांक 05.04.2018 के अनुसार खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है।
3. अनुतोष

वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किये। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत 2076 से 2079, प्रदर्श–2 वसीयतनामा, प्रदर्श–3 मृत्यु प्रमाण पत्र ताराचरन, प्रदर्श–4 मृत्यु प्रमाण पत्र महेश्वरी पेश की है तथा मौखिक साक्ष्य में वादिया

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

पी0डब्ल्यू0–1 बालारानी, पी0डब्ल्यू0–2 प्रियासिंह, पी0डब्ल्यू0–3 स्वीटीसिंह के बयान लेखबद्ध कराये गये। वसीयतकर्ता के नाम की जमाबन्दी रिकॉर्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में भिन्नता होने के कारण ग्राम पंचायत बरा द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र मय बी.एल.ओ. टिप्पणी के प्रस्तुत किया। एवं जिरह प्रतिवादी द्वारा की गयी। प्रतिवादीगण की ओर पृथक से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजी साक्ष्य एव दस्तावेजों का अवलोकन किया। तनकीवाइज निर्णय निम्न प्रकार है–

तनकी नम्बर–1 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। आराजी खसरा नम्बर 2635/2541 रकवा 02 बीघा वाकेग्राम मालौनीखुर्द में स्व0 ताराचन्द के नाम को डिलीट करवाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के साथ वहिस्सा बराबर–बराबर स्व0 ताराचन्द द्वारा की गई वसीयत दिनांक 05.04.2018 के अनुसार खातेदार घोषित कराने बाबत् वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे वादिया बालारानी, स्वीटीसिंह एवं स्वतन्त्र गवाह के रूप में प्रियासिंह के बयान कराकर वाद पत्र की पूर्ण ताईद की है। उपरोक्त बयानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी रिकॉर्ड अनुसार स्व0 ताराचन्द के नाम दर्ज है। जो कि अपने जीवन काल तक मौके पर काबिज काश्त रहे एवं स्व0 ताराचन्द पुत्र सुखी का कोई भी विधिक वारिस नहीं होने के कारण उनके नजदीकी वारिस एवं कायम मुकाम वादीगण एवं प्रतिवादीगण होने के कारण वसीयत उनके हक में निस्पादित की गयी है। जिसको प्रतिवादीगण द्वारा भी स्वीकार किया गया है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने–अपने हिस्से पर काबिज होना भी स्वीकार किया है। इसलिए वादीगण के अधिकारों की घोषणा किया जाना आवश्यक है। उसके उपरान्त ही रिकॉर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का नाम वसीयत अनुसार दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अत ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

तनकी नम्बर–2 इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण द्वारा अपने साक्ष्य में कोई कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है एवं न हीं बयान कराये गये। चूंकि तनकी नम्बर–1 में विवादित आराजी का वसीयत अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। एवं प्रतिवादी द्वारा तनकी नम्बर–2 में भी स्वयं को वसीयत अनुसार खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अतः तनकी नम्बर–1 को स्वीकार किया जा चुका है। अतः पूर्व तनकी में प्रतिवादी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान किये जाने के उपरान्त पुनः वही अनुतोष प्रदान किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार हम दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी खाता संख्या–120 के खसरा नम्बर 2635/2541 रकवा 0.5058 हैक्टेयर वाकेग्राम मालौनीखुर्द पटवार हल्का मालौनीखुर्द तहसील सैपऊ का वादीगण एवं प्रतिवादीगण को वहिस्सा बराबर 1/2–1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वर्तमान इन्द्राजात को कलमजद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम बतौर खातेदार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

एक–दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो । प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(ललित मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

6/6

राजस्थान–सरकार

डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत – उप जिला कलक्टर सैपऊ
व इजलास –ललित मीना (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या–10 / 2020

1–बालारानी पुत्री स्व0 बिरसू पत्नी श्री लखबिन्दर सिंह 2–स्वीटी सिंह पुत्री स्व0 महेश्वरी देवी पत्नी श्री सुमित सिंह हाल जातिगण बेडिया निवासी ग्राम बरा (मालौनीखुर्द) तहसील सैपऊ जिला धौलपुर .....वादीगण

बनाम

1–विसाल नारायन छारी पुत्र श्री नारायन सिंह 2–कमल सिंह पुत्र श्री नारायन सिंह समस्त जातिगण बेडिया निवासीगण ग्राम बरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर .....प्रतिवादीगण

दावा वास्ते स्वत्व घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अधीन धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ ललित मीना (आर.ए.एस.) व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट एवं मिनजानिब मुद्दायलह श्री हजरत खां एडवोकेट को पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है। कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खाता संख्या–120 के खसरा नम्बर 2635 / 2541 रकवा 0.5058 हैक्टेयर वाकेग्राम मालौनीखुर्द पटवार हल्का मालौनीखुर्द तहसील सैपऊ का वादीगण एवं प्रतिवादीगण को वहिस्सा बराबर 1 / 2–1 / 2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वर्तमान इन्द्राजात को कलमजद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम बतौर खातेदार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही उभयपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक–दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफतर हो।

वशव्द मेरे एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.12.2022 को जारी की गई।

(ललित मीना)
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ